

मध्यप्रदेश शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 752/2917/2018/वि.प्र./20

भोपाल दिनांक 17/9/2018

प्रति


1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण संभाग म.प्र।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश।
3. सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग समस्त जिले।

विषय— अतिथि शिक्षकों की ऑनलाईन व्यवस्था के संबंध में।

संदर्भ— मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्र. F-244-13/2018/20-2 भोपाल
दिनांक 04/09/2018

कृपया संदर्भित पत्र में लेख अनुसार W.P. क्र. 18096/2018 मान. उच्च न्यायालय
जबलपुर में प्रचलित है। माननीय न्यायालय में सुनवाई हेतु आगामी तिथि 19/09/2018
नियत है।

अतः संबंधित पत्र में उल्लेखित अतिथि शिक्षक की व्यवस्था सत्र 2018-19 हेतु दिनांक
19/09/2018 तक नहीं की जाये।



(प्रमोद सिंह) दिनांक 17/9/18
उपसचिव
म.प्र. शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक 753 2917/2018/वि.प्र./20

भोपाल दिनांक 17.9.18

प्रतिलिपि—

1. महाधिवक्ता, मान. उच्च न्यायालय जबलपुर को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल। समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी,
प्राचार्य / प्रधानाध्यापक को निर्देशित करने हेतु।
3. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग भोपाल।
4. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


दिनांक 17/9/18
उपसचिव
म.प्र. शासन